आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 182/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टायगर होम फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में अडानी हाऊसिंग फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड), एस–18–19, महिमा त्रिनिटी मॉल, प्लॉट नं. 5, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. अल्का संतोष दुबे पुत्री संतोष दुबे,
2. कुसुम देवी पत्नी संतोष कुमार,
   पताः– प्लॉट नं. 27, श्याम नगर 3 एफ, कानखो की ढ़ाणी, सांगानेर, जयपुर,
   एवं ईडब्लूएस यूनिट/फ्लेट नं. जी.एफ./4 ब्लॉक नं. ए–3, ग्राउण्ड फ्लोर, सहभागिता आवास योजना, श्यामपुरा बुहारिया, वाटिका रोड़, सांगानेर, जयपुर।
3. राजकुमार द्विवेदी पुत्र राम लखन द्विवेदी,
   पताः– एच–132, पुलिस लाईन, एमआईजी कॉलोनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश
   एवं ईडब्लूएस यूनिट/फ्लेट नं. जी.एफ./4 ब्लॉक नं. ए–3, ग्राउण्ड फ्लोर, सहभागिता आवास योजना, श्यामपुरा बुहारिया, वाटिका रोड़, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः– श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांकः 15.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 23.09.2023 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी अल्का पुत्री संतोष दुबे के स्वामित्व की संपत्ति ईडब्लूएस यूनिट/फ्लेट नं. जी.एफ./4 ब्लॉक नं. ए–3, ग्राउण्ड फ्लोर, जेपी–12, सहभागिता आवासीय योजना, श्यामपुरा बुहारिया, वाटिका रोड़, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 325 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 08,90,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 08,90,000/–रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 09,88,936/–रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.07.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः **The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अल्का पुत्री संतोष दुबे के स्वामित्व की संपत्ति ईडब्लूएस यूनिट/फ्लेट नं. जी.एफ./4 ब्लॉक नं. ए–3, ग्राउण्ड फ्लोर, जेपी–12, सहभागिता आवासीय योजना, श्यामपुरा बुहारिया, वाटिका रोड़, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 325 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner